भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कपास भवन, 27-ए, रेसकार्स रोड, इंदौर – 452003

दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com

वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

सुरक्षाकर्मी (Security Guard) के लिये निविदा सूचना

निगम ऊपर दर्शाये गये पते पर पंजीकृत सुरक्षा एजेंसी से दो बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत शस्त्र रहित सुरक्षाकर्मी की आपूर्ति हेतु निविदायें आमंत्रित करता है । नियम एवं शर्त हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in एव गर्व्हनमेंट वेबसाईट http://eprocure.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है । सीलबंद निविदायें दिनांक 15.09.2021 को दोपहर 3.00 बजे हमारे उपरोक्त पते पर पहुँच जाना चाहिये । प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 3.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

मुख्य महाप्रबंधक

<u>सुरक्षाकर्मी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निविदा</u>

<u>तकनीकी विशेषताएँ – बिड-I (Technical Bid-I)</u>
(सामान्य जानकारी)

1.	फर्म का नाम कार्यालयीन रजिस्टर्ड पता दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नंबर/ई-मेल	.... दूरभाष नंबर : कार्यालय ..... निवास ..... मोबाईल नंबर ..... फैक्स नंबर .....ई-मेल .....
2.	क्या फर्म का ऑफिस इन्दौर में है	हाँ / नहीं
3.	फर्म के मुखिया का नाम एवं पदनाम उनके पूर्व के अनुभव सहित (वर्ष आदि)	....
4.	पॅन नंबर (Permanent Account No.) **(अनिवार्य)**	पॅन .....
5.	फर्म के जिन बडे शहरों में कार्यालय स्थित है, उन शहरों के नाम.	.....
6.	फर्म के अन्तर्गत कुल कितने सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं ?	.....
7.	क्या फर्म डीजीआर DGR) नई दिल्ली या म.प्र.शासन से पंजीकृत है ? (यदि हाँ, तो पंजीकरण की प्रति संलग्न करें) **(अनिवार्य)**	....
8.	फर्म का मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय प्राधिकारीक EPF एवं ESIC का पंजीकरण होना आवश्यक है । (दस्तावेजी आधार संलग्न करें) **(अनिवार्य)**	....
9.	क्या फर्म के पास उनके ग्राहकों को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है ? (सेवा उपलब्ध कराने की अवधि दर्शायें)	हाँ / नहीं
10.	क्या फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान किसी भी दो सरकारी अनुभाग/उपक्रमों को सुरक्षा सबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराई गई ? (यदि हाँ तो सबंधित सरकारी अनुभागो / उपक्रमों के लेटर हेड पर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें)	हाँ / नहीं

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारियाँ पूर्णत: सत्य है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

<u>टिप्पणी :-</u> निविदा कर्ता द्वारा उपरोक्त दिये गये संबंधित तकनीकी विशेषताओं के दावों का सत्यापन करने का अधिकार निगम अपने पास सुरक्षित रखता हैं।

दिनांक .....

मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
इंदौर (म.प्र.)

सुरक्षाकर्मी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निविदा

भाव पत्रक बिड – II (Financial Bid-II)

कृपया निम्नलिखित प्रोफामें में प्रति व्यक्ति, प्रति माह के आधार पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु आपकी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें :-

क्रम संख्या	विवरण	दर, रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह (सभी कर सहित) (अंकों एवं शब्दों में दर्शायें) (जीएसटी के बिना)
1	24 घंटे के लिए (प्रति चौकीदार 8 घंटे)	

टिप्पणी :- 1) जीएसटी वर्तमान नियमानुसार सीसीआई द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं भविष्य में यदि नियम में कोई बदलाव आता है तो तदानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।
2) अशंदान भविष्य निधि (P F), बोनस तथा अन्य कोई भी लाभ के भुगतान आदि की जवाबदारी सिक्यूरिटीज एजेन्सी की होगी ।
3) टीडीएस नियमानुसार काटा जायेगा ।

अत: उपरोक्त दरें वास्तविक (NET) होनी चाहिए ।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :
नाम तथा पदनाम :
मुहर :

<u>नियम एवं शर्ते :-</u>

1. सबंधित सुरक्षा एजेंसी द्वारा दर्शाई गई दर नियुक्ति की दिनांक 01.10.2021 से एक साल तक वैद्य रहेगी । दोनों पक्षों की सहमति से अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है बशर्ते उपलब्ध कराई गई सेवाएँ संतोषजनक पाई गई हों । यद्यपि इस करार को एक माह की पूर्व नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार निगम अपने पास सुरक्षित रखता है ।

2. एजेन्सी को प्रतिदिन (पूरे सप्ताह) 24 घंटे (प्रति चौकीदार 8 घंटे) के लिये सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाना होगा ।

3. अतिरिक्त शिफ्ट पर लगाये गये सुरक्षाकर्मी का भुगतान स्वीकृत दरों के अनुसार प्रति व्यक्ति, प्रति शिफ्ट संबंधित माह के दिनों के अनुसार प्रतिदिन की गणना कर भुगतान किया जायेगा ।

4. प्रथम बिल में से रूपये 5000/- की सिक्येरिटी राशि काटना स्वीकार है ।

5. बिल भुगतान में नियम अनुसार से आयकर की कटौती की जायेगी ।

6. भाकनि द्वारा इस करार के अंतर्गत एजेन्सी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी को किसी भी प्रकार का आवास, यूनिफार्म, परिवहन, बोनस तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जायेगी ।

7. आपके द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मीयों का अपराधिक रिकार्ड (क्रिमिनल रिकार्ड) नहीं होना चाहिये ।

8. आपके द्वारा उपलब्ध करायें गये सुरक्षा कर्मचारियों से संतोषजनक एवं उचित अनुशासन का पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी (Service Providers) रहेगी एवं किसी प्रकार का धुम्रपान/नशा नहीं करेगा अन्यथा एजेन्सी द्वारा सुरक्षाकर्मी को बदलना होगा ।

9. एजेन्सी द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मी के साथ कोई होनी-अनहोनी या दुर्घटना होती है तो उसके लिये एजेन्सी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी । निगम का कोई भी दायित्व नहीं रहेगा ।

10. एजेन्सी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी को हर माह की 7 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा भुगतान प्राप्ति की रसीद एवं पिछले माह का PF चालान बिल के साथ प्रस्तुत करना होगी ।

11. एजेन्सी द्वारा निगम को भुगतान बिल प्रस्तुत करते समय उस माह की वेतनशीट उपस्थिति पत्रक सहित लगाना होगी ।

12. सिक्युरिटीज एजेन्सी सभी श्रम कानून जैसे PF, ESI आदि अन्य वैधानिक जवाबदारी के लिये स्वयं जिम्मेदार होगी । इस संबंध में निगम का किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा ।

13. आपको सुरक्षाकर्मी का परिचय-पत्र फोटो सहित उपलब्ध करवाना होगा ।

14. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा ।

हस्ताक्षर :
सिक्योरिटी एजेन्सी की ओर से
प्राधिकृत व्यक्ति के (द्वितीय पक्ष):

हस्ताक्षर :
कॉटन कारपोरेशन आफ इण्डिया की ओर से
प्राधिकृत व्यक्ति के (प्रथम पक्ष):

गवाह :

1. _____
   _____
2. _____
   _____